

संख्या-297/81-2-2026-800(144)/2019**प्रेषक,**

घनश्याम सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 06-05-2026

विषय- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड (एन0एच0-80) किमी0 05 दांयी पटरी खसरा संख्या-30 ग्राम दौलताबाद तहसील कोल जनपद अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/264/2022/एफसी/582 दिनांक 07.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण कतिपय आपत्तियां की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2054/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक 16.12.2022, पत्र संख्या-3183/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक 03.04.2023, पत्र संख्या-4098/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक 30.06.2023, पत्र संख्या-568/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक 04.09.2023, पत्र संख्या-1593/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक 27.12.2023 पत्र संख्या-2305/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक 04.02.2026 द्वारा आख्या/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 04.02.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 सपठित वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(घनश्याम सिंह)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़।
3. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग अलीगढ़।
4. प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 मुरादाबाद।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(घनश्याम सिंह)
विशेष सचिव